रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234189
CG-DL-E-15032022-234189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943
No. 195]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

सा.का.नि. 198(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में मनश्चिकित्सीय परिचर्या के सह आचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, मनश्चिकित्सीय परिचर्या के सह आचार्य (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पर पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मनश्चिकित्सीय परिचर्या के सह प्रोफेसर	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं: आवश्यक: 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनश्चिकित्सीय परिचर्या में एम.एससी. की डिग्री; 2. मनश्चिकित्सीय परिचर्या में एम.एससी. की अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात किसी मान्यताप्राप्त संस्था में शिक्षण का पाँच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मनश्चिकित्सीय परिचर्या में डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री उपाधि । **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के मामले में ही आमेलन किया जा सकेगा। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फ़ा. सं. पी.15012/01/2014-पीएच-I]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2022

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Associate Professor of Psychiatric Nursing in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Associate Professor of Psychiatric Nursing (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Associate Professor of Psychiatric Nursing.	1* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11in the pay matrix (Rs. 67700 - 208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short term contract)/absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or recognized Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or statutory or autonomous organizations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(ii) with five years regular service in level 10 (Rs. 56100 - 177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** 1. M.Sc. Degree in Psychiatric Nursing from a recognised University or institution; 2. Five years teaching experience in any recognised institution after obtaining qualification of M.Sc. in Psychiatric Nursing. **Desirable:** Doctorate Degree (Ph. D) degree in Psychiatric Nursing from a recognised University or institution. **Note 1:** Absorption can be made only in the case of officers from the Central Government or State Government or Union territories. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.		

[F. No. P.15012/01/2014-PH-I]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.03.15 15:43:02 +05'30'